



प्रेस नोट दिनांक 01.07.2026 जनपद फतेहपुर

थाना राधानगर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-01.07.2026 को थाना राधानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 143/2026, धारा 69/352/351(2)/351(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित लवकुश लोधी पुत्र सुन्दर लाल लोधी निवासी बीबीपुर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. लवकुश लोधी पुत्र सुन्दर लाल लोधी निवासी बीबीपुर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 529/2019, धारा 376 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 143/2026, धारा 69/352/351(2)/351(4) बीएनएस थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव थाना राधानगर जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 दिवाकर सिंह
3. हे0का0 जयशंकर यादव